उत्तर प्रदेश में सिटी गैस वितरण प्रणाली की स्थापना की जाएगी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष से विचार–विमर्श

लखनऊ, 22 मई 2012:

वाहनो, गृहों, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित, सस्ती एवं निर्बाध ईंधन आपूर्ति हेतु राज्य सरकार जिलों में सिटी गैस वितरण प्रणाली (CGD) की स्थापना पर कार्ययोजना तैयार कर रही है। इस संबंध में आज अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.), अनिल कुमार गुप्ता ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड **(PNGRB)** के अध्यक्ष श्री एस. कृष्णन से गहन विचार–विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में लखनऊ के जिलाधिकारी अनुराग यादव व अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी शामिल थे।

सिटी गैस वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) वाहनों के लिए तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) गृह, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उपयोग के लिए सप्लाई की जाती है।

आई.आई.डी.सी. ने कहा– "उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षित करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समग्र विकास करने को प्रतिबद्ध है और प्रभावी तथा सस्ते ईंधन की आपूर्ति हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने बताया कि सिटी गैस वितरण प्रणाली को ईंधन की माँग तथा औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार जिलों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा।

इस सन्दर्भ में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें मुख्य हैं– जिलों का चिन्हीकरण, एकल विण्डो क्लीयरेन्स प्रणाली की स्थापना, राज्य, जिले व निगम स्तर पर नोडल अधिकारियों का नामांकन, (CGD) प्रणाली को स्थापित करने हेतु भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण, आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन से संबंधित कर प्रणाली का सरलीकरण, इस योजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए कोरीडोर की स्थापना तथा इस प्रयोजन हेतु दक्ष मानव संसाधन का विकास।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड **(PNGRB)** के अध्यक्ष श्री एस. कृष्णन ने कहा कि पेट्रोलियम ईंधन व कोयले के बढते हुए मूल्य व उसकी सम्भावित कमी के दृष्टिगत् गृह तथा विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस को ही प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि इस समय अधिकांश गृहों में इस्तेमाल होने वाली लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस *(LPG)* पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त या कम कर दिया जाये तो कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) वाहनों के लिए तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) गृह, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के उपयोग के लिए कहीं सस्ती पड़ेगी।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड **(PNGRB)** सिटी गैस वितरण अवस्थापना को विकसित करने हेतु अनुमति देने के लिए अधिकृत है, साथ ही यह बोर्ड इस संबंध में नियमावली भी जारी करता है। इस समय प्रदेश में 11 शहरों में सिटी गैस वितरण प्रणाली विकसित की जा रही है, इसमें लखनऊ, कानपुर, फ़िरोज़ाबाद, मेरठ, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा तथा खुरजा शामिल हैं।

———————